STN-227/19 शासन वि. पुरानिक सेन

Witness No. .....**05**..... for .....अभि.सा..... Deposition taken the .....23.09.2021.....day of गुरूवार Witness's apparent age ..... 54 वर्ष..... States on affirmation शपथ पूर्वक my name is ..... **यशवंत ठाकुर** Son of.....स्व. पन्नू सिंह ठाकुर ..... occupation कृषि address.. ग्राम मोहंदी थाना अभनपुर, जिला रायपुर छ.ग.

———————————————————————————————————

1. मै न्यायालय उपस्थित आरोपी पुरानिक सेन को जानता हूं वह मेरे गांव का निवासी है। मै मृतिका भुनेश्वरी सेन को भी जानता था वह भी मेरे गांव की निवासी थी।

2. मेरे पास पुरानिक सेन का पुत्र नीरज सेन आया था उसने बताया कि मेरे पिता पुरानिक सेन ने अपनी बहू भुनेश्वरी का मर्डर कर दिया है। फिर मै गांव के कोटवार को लेकर उसके घर गया तो वहां देखा कि भुनेश्वरी सेन आंगन मे पड़ी तड़प रही थी, उसके सिर के पिछे से बहुत खून बह रहा था। उसके बाद मै घर के बाहर गया और मैने पुलिस थाना अभनपुर मे सूचना दिया। पुलिस ने मेरे समक्ष आरोपी पुरानिक सेन से पुछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन दर्ज किया था मेमोरेण्डम कथन **प्रदर्श पी–12** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

3. मेमोरेण्डम कथन मे आरोपी ने बताया कि घर के कमरे के पास रखे डंडा एवं हसीया से गुस्सा मे होकर भुनेश्वरी के सिर के पिछे, गाल एवं पेट को मारकर प्राणघातक वार कर हत्या कर दिया हूं जिसे सोने वाले कमरे मे रखा हूं, चलो निकालकर बरामद करा देता हूं। इसके बाद सोने वाले कमरे

मे गये वहां से डंडा एवं हसीया आरोपी पुरानिक सेन की निशानदेही पर मेरे समक्ष जप्त किया गया था जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी–13** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

टीप– *इस स्तर पर सहायक लोक अभियोजक के द्वारा जप्तशुदा डंडा एवं हसीया से साक्षी को सन्मुख कराये जाने हेतु जप्त संपत्ति आहूत किये जाने का निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकृत। जप्तशुदा डंडा एवं हसीया को थाने के मालखाने मे रखा होना एवं न्यायालय मे प्रस्तुत नहीं किया जाना व्यक्त करते हुए सहायक लोक अभियोजक के द्वारा जप्तशुदा संपत्ति को प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकृत। साक्षी का परीक्षण स्थगित किया गया।*

गवाह को पढ़कर सुनाया गया ।
सही होना स्वीकारा गया ।

सही/–
(विवेक कुमार वर्मा)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।

सही/–
(विवेक कुमार वर्मा)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ0ग0)

गवाह के हस्ताक्षर .....

टीप– आज दिनांक 23.09.2021 को साक्षी यशवंत ठाकुर अ.सा.क.–05 को पुनः शपथ दिलाई जाकर परीक्षण प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया।
समय 01:34 बजे प्रारंभ

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह अपर लोक अभियोजक

टीप– *इस स्तर पर अपर लोक अभियोजक के द्वारा जप्तशुदा डंडा एवं हसीया से साक्षी को सन्मुख कराये जाने हेतु जप्त संपत्ति आहूत किये जाने का निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकृत। जप्तशुदा संपत्ति को मालखाना से मंगाया गया और न्यायालय के समक्ष खोला गया और परीक्षण प्रारंभ किया गया।*

4. साक्षी को प्रकरण मे जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी–13** के अनुसार जप्तशुदा डण्डा एवं हसीया को दिखाये जाने पर साक्षी ने उक्त डण्डे एवं हसीये को पहचान कर बताया कि इसी डण्डे एवं हसीये को मेरे समक्ष आरोपी पुरानिक सेन की निशानदेही पर जप्त किया गया था। जप्तशुदा डण्डा **आर्टिकल ए–1** एवं हसीया **आर्टिकल ए–2** है।

5. पुलिस वालों ने मेरे समक्ष मिट्टी वगैरह आरोपी के घर से जप्त किये थे जप्त पत्रक **प्रदर्श पी–14** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस वालों ने मेरे समक्ष पुरानिक सेन के कपड़े भी जप्त किये थे जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी–15** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे समक्ष पुरानिक सेन को पुलिस वाले गिरफ्तार किये थे गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी–16** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

6. प्रकरण मे थाना अभनपुर के विवेचना अधिकारी द्वारा मुझसे पुछताछ कर मेरा बयान दर्ज किया था।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री संतोष देवांगन अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

7. मैं खेती किसानी का काम करता हूं। यह कहना सही है कि मेरा और आरोपी के मकान के मध्य पर्याप्त दूरी है मेरे घर से आरोपी का मकान दिखाई नहीं देता। मुझे घटना की सूचना नीरज सेन ने दिया था। नीरज सेन आरोपी का बड़ा लड़का है। घटना की जानकारी मुझे नीरज सेन के द्वारा घटना के सुबह 09:50 बजे घटना की जानकारी दिया। जिस वक्त मुझे घटना की जानकारी दिया गया उस वक्त मै

अपने घर मे स्नान कर रहा था। मेरे घर मे कुल 4 सदस्य हैं मै मेरी पत्नी और दो संतान।

8. घटना की जानकारी 09:50 को प्राप्त होने के 20 मिनट पश्चात् मैं घ ाटना स्थल गया था। यह कहना सही है कि मुझे स्नान के वक्त बाहर से ही नीरज सेन के द्वारा आवाज देकर कथित घटना के संबंध मे जानकारी प्रदान की गई थी। मै और ग्राम कोटवार लखन लाल साहू के साथ घटना स्थल पर उपस्थित हुआ। जब मै घटना स्थल पहुंचा उस वक्त घटना स्थल मे आरोपी के परिवार से नीरज सेन और उसका पूत्र जिसकी आयु 4–5 वर्ष है उपस्थित थे और उसके अतिरिक्त बहुत लोग मौजुद थे। मै नीरज सेन की पत्नी का नाम नहीं जानता हूं। यह कहना गलत है कि घटना स्थल पर नीरज सेन की पत्नी भी उपस्थित थी। साक्षी स्वतः कहा कि वह काम मे गई थी।

9. मुझे जानकारी नहीं है कि नीरज के सेन के छोटे भाई के संतान है या नहीं। मै घटना स्थल पहुंचा तो मृतिका तड़प रही थी इसलिए मैने कोई पुछताछ नहीं किया। यह कहना सही है कि मुझे घटना के संबंध मे कार्यवाही मे भाग लेने के लिए थाना अभनपुर की पुलिस के द्वारा कोई नोटिस प्रदान नहीं किया गया था। स्वतः कहा कि पुलिस वाले मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फोन करके कार्यवाही मे भाग लेने के लिए थाने बुलाये थे। मुझे घटना दिनांक को पुलिस वाले 11:00 बजे फोन करके कार्यवाही के लिए उपस्थित होने के लिए सूचना फोन पर दिये थे।

नोट– चायकाल का समय होने से साक्षी का प्रतिपरीक्षण चायकाल समय तक के लिए स्थगित किया गया।

गवाह को पढ़कर सुनाया गया।
सही होना स्वीकारा गया ।

सही/–
(अजय सिंह राजपूत)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/–
(अजय सिंह राजपूत)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ0ग0)

गवाह के हस्ताक्षर .....

नोट– चायकाल पश्चात् साक्षी को पुनः शपथ दिलाई जाकर प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया।

समय 02:45 बजे प्रारंभ

10. मै थाना अभनपुर घटना दिनांक को 01:30 बजे पहुंचा और मैं सिर्फ 04:00 बजे तक थाने मे रहा और उसके पश्चात् वापस आ गया। यह कहना सही है कि उसके पश्चात् मै थाना अभनपुर कभी नहीं गया। जब मै घटना स्थल पहुंचा तो मृतिका का सिर उत्तर दिशा मे था। घटना स्थल मैनें दो कमरे देखे थे। स्वतः कहा कि मै अंदर नहीं गया था। यह कहना सही है कि नीरज सेन के द्वारा घटना के संबंध मे मुझे घटना दिनांक को 09:50 बजे सूचना दिया गया तब मै 20 मिनट के पश्चात् घटना स्थल पहुंचा उसके पश्चात् मै घटना स्थल कभी नहीं गया। स्वतः कहा कि वह सिर्फ 11:00 बजे तक रहा।

11. यह कहना सही है कि उक्त संबंध मे मैं गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं दिया था। स्वतः कहा कि गांव वाले स्वयं वहां पहुच गये थे। यह कहना सही है कि मै थाने मे पुलिस के अनुसार तैयार दस्तावेज मे हस्ताक्षर के पूर्व और पश्चात् उसमे क्या उल्लेखित किया गया था मैनें नहीं पढ़ा था। साक्षी अब कहता है कि मैने पढ़ा था। साक्षी से पुछे जाने पर कि आपने सर्वप्रथम किस दस्तावेज पर कितने बजे हस्ताक्षर किये थे और उसमे क्या लिखा था तब साक्षी का कहना है कि मैं आज दिनांक को नहीं बता सकता।

12. मै आज नहीं बता सकता कि मैने कुल कितने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे। यह कहना सही है कि मैने जितने भी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये हैं उस पर पुलिस ने एक ही समय पर हस्ताक्षर लिये थे। मैने कुछ कागजों पर घटना स्थल पर और कुछ कागजों पर थाने मे हस्ताक्षर किया था। मुझे आज याद नहीं है कि मैने कितने दस्तावेजों पर और किस दिनांक को घटना स्थल पर हस्ताक्षर किये थे। यह कहना सही है कि घटना दिनांक की शाम 7 बजे मै अपने गांव मे था। यह कहना सही है कि आरोपी मेरे गांव मे रहता है और उसके विरूद्ध कोई अन्य मामला नहीं है। यह कहना गलत है कि मै गांव का सरपंच हूं। स्वतः कहा कि घटना के समय गांव का सरपंच था।

यह कहना सही है कि घटना के पूर्व मुझे किसी ने भी यह नहीं बताया था कि आरोपी का अपनी बहू के साथ किसी भी बात को लेकर विवाद है।

13. यह कहना गलत है कि जिस दिन मै अपना हस्ताक्षर किया हूं उस दिनांक को मेरे साथ गांव का कोटवार उपस्थित नहीं था। साक्षी से पुछे जाने पर कि आपने आरोपी को घटना दिनांक के दूसरे दिन थाने मे देखे थे तब साक्षी का कहना है कि मै ना तो घटना दिनांक को और ना ही घटना दिनांक के दूसरे दिन किसी भी स्थान मे आरोपी को नहीं देखा था। स्वतः कहा कि जब मै पहली बार न्यायालय आया तब आरोपी को न्यायालय मे देखा था।

14. यह कहना सही है कि जब हम कभी किसी भी धारदार वस्तु से किसी पर वार करते हैं तो उसमे खून का धब्बा लगता है और जब तक उसे मिटाया ना जाये तब तक उसमे खून का धब्बा नहीं मिटता। यह कहना गलत है कि पुलिस वालों ने मेरे सामने डण्डा और हसीया की जप्ती नहीं किये थे।

प्रश्नः— न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आर्टिकल ए—2 हसीया को साक्षी को दिखाकर पुछा गया कि हसीये मे कोई खून के निशान नहीं है ?

उत्तरः— यह कहना सही है कि खून के निशान हसीये मे नहीं दिख रहें हैं साक्षी ने कहा कि घटना को दो साल हो गये है इसलिए हसीये मे खून के दाग नहीं दिख रहें है।

15. यह कहना सही है कि आर्टिकल ए—2 का हसीया सामान्य हसीया है तो सामान्यतः सभी घरों मे रहता है। यह कहना सही है कि आर्टिकल ए—1 का डण्डा सामान्यतः सभी घरों मे उपलब्ध रहता है। यह कहना गलत है कि मेरे सामने हसीया और डण्डा की जप्ती नहीं हुई है इस कारण मैं जप्ती का दिनांक व समय नहीं बता पा रहा हूं। मैने घटना दिनांक को ही पुलिस को अपना बयान दिया था।

16. साक्षी को उसका पुलिस कथन दिखाकर पुछे जाने पर कि आपने दिनांक 22.05.2019 को पुलिस को कथन दिया था तब साक्षी का कहना है कि मै उक्त दिनांक को अपना पुलिस कथन नहीं दिया था। यह कहना सही है कि जिस दिनांक को पुलिस वाले कथन लेखबद्ध करतें है उसी दिनांक को ही पुलिस वाले अपना हस्ताक्षर

व दिनांक अंकित करतें है। यह कहना गलत है कि पुलिस वालों ने मेरा कथन लेखबद्ध नहीं किया था मात्र फोटो मांगे थे। मै आज नहीं बता सकता कि पुलिस वालों ने आरोपी के किस रंग के कपड़े जप्त किये थे। यह कहना गलत है कि जप्तशुदा डण्डा व हसीया को पुलिस वाले मेरे सामने सिलबंद नहीं किये थे। यह कहना सही है कि आज माननीय न्यायालय के समक्ष मेरी उपस्थिति मे खोलते समय जप्तशुदा डण्डा रस्सी से लपेटा गया था। यह कहना गलत है कि न्यायालय के समक्ष मेरी उपस्थिति मे खोलते समय जप्तशुदा हसीया सीलबंद नहीं था। यह कहना सही है कि मै सरपंच कार्यकाल के दौरान जब भी पुलिस वाले मुझे थाने मे बुलाते थे और अन्य घटनाओं के संबंध मे जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने बोलते थे मै करता था।

टीप– मालखाना से मंगाया गया जप्तशुदा संपत्ति विधिवत् मालखाना वापस भेजा जावे।

समय 03:20 बजे समाप्त।

गवाह को पढ़कर सुनाया गया।
सही होना स्वीकारा गया ।

सही/–
(अजय सिंह राजपूत)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/–
(अजय सिंह राजपूत)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ0ग0)

गवाह के हस्ताक्षर .....